विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अका./पी.एच.डी.पंजी./2016/ 3780

दिनांक : 03/09/16

:: अधिसूचना ::–

आदेशानुसार अधिसूचित किया जाता है कि,समन्वय समिति के द्वारा पारित पीएच.डी. अध्यादेश को विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् एवं कार्यपरिषद् द्वारा पीएच.डी. अध्यादेश 90(संशोधित) के रूप में अंगीकृत किया गया।

संशोधित पीएच.डी. अध्यादेश 90(संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार केवल नेट (जे.आर.एफ.) पास विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा से छूट है। एम.पी.ऑनलाईन द्वारा प्रदर्शित आवेदन में नेट(Lecturership eligibility)/स्लेट/गेट एवं एम.फिल.उपाधि धारक विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा से छूट दे दी गयी है। इससे संशोधित पीएच.डी. अध्यादेश 90 (संशोधित) के प्रावधान लागू नहीं हो सकते हैं। इसे लागू किये जाने हेतु नेट(Lecturership eligibility)/स्लेट/गेट एवं एम.फिल.उपाधि धारक को पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

अतः इसके परिपालन में एवं छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय प्रवेश समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते है :–

01. दिनांक 08.09.2016 को होने वाली पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा को स्थगित किया जा कर आगामी पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा दिनांक 18.10.2016 (मंगलवार) को आयोजित की जायेगी।

02. दिनांक 22.09.2016 को होने वाली एम.फिल. प्रवेश परीक्षा यथावत आयोजित की जायेगी।

03. शोध निदेशकों की संख्या में कमी होने की सम्भावना की वजह से सीटों की संख्या में कमी हो जायेगी एवं कतिपय विषयों में सीटों की संख्या शून्य होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः सीटों की संख्या का पुनः निर्धारण किया जावेगी।

04. ऐसे विद्यार्थी जिन्हें एम.पी.ऑनलाईन द्वारा नेट(Lecturership eligibility)/स्लेट/गेट एवं एम.फिल. उपाधि धारक को प्रवेश परीक्षा से छूट दे दी गयी थी। उन्हें पुनः पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निःशुल्क आवेदन अनिवार्यतः करना होगा।

05. प्रवेश परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी परीक्षा परिणाम नहीं आने के कारण अथवा किसी अन्य कारणवश पीएच.डी. में प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर सके हैं, उन्हें आवेदन प्रस्तुत करने के लिए 10 अक्टूबर 2016 तक की तिथि निश्चित की गई है।

06. सीटों के पुनर्निधारण करने पर जिन विषयों में सीटों की संख्या शून्य हो जाती है। उनकी प्रवेश परीक्षा न करायी जावेगी। यदि आवेदन पत्र पूर्व में विद्यार्थियों से प्राप्त हुए हैं तो उन विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा शुल्क राशि को लौटाया जायेगा।

अतः उपरोक्त निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाने हेतु संबंधित की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/पीएच.डी.पंजी./2016/ 3781

दिनांक : 03/09

प्रतिलिपि :–

01. समस्त विभागाध्यक्ष/प्राचार्य,अध्ययनशाला/शासकीय महाविद्यालय,(शोध केन्द्र की मान्यता प्राप्त) शोध केन्द्र,विक्रम विश्वविद्यालय,परिक्षेत्र, आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

02. प्रभारी,कम्प्यूटर सेंटर,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन से निवेदन है कि,उक्त अधिसूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

निरंतर...02

03. समन्वयक ऑनलाईन सेंटर,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
04. समन्वयक,आई.क्यू.ए.सी.सेल,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
05. उप/सहायक कुलसचिव,परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
06. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अनुभाग अधिकारी (अकादमिक)

Ph.D./R.D.C.Letter/30-31